न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 25/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. सालमसिंह पुत्र भीमसिंह		1. शैतानसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा तहसील सिरोही
2. गंगासिंह पुत्र भीमसिंह		2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही
3. पूरणसिंह पुत्र सालमसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण गोईली तहसील व जिला सिरोही		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री सुरेशचन्द्र सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री नगेन्द्र मेड़तीया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9-5-2018

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 115/2013 बअनवान शैतानसिंह बनाम सालमसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें गलत खसरा नम्बर अंकित करते हुए अनुतोष चाहा है। वास्तविकता यह है रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 560/2, खसरा नम्बर 561/2 एवं खसरा नम्बर 562/2 भूमि क्रय की है, जबकि प्रार्थना पत्र एवं वाद में खसरा नम्बर 580, 581 व 582 के लिए अनुतोष चाहा है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किए जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जवाबदावा एवं मौके के जो हालात दर्शाए गए, उस पर गौर ही नहीं किया तथा न ही इन तथ्यों पर गौर किया कि भूप्रबन्ध के दौरान भूमि के नये नम्बर क्या रहे तथा राजस्व रेकर्ड में क्या परिवर्तन हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज होने एवं न्यायालय में कार्यवाही होने के तथ्यों को उल्लेखित अवश्य किया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

किन्तु अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत पुलिस निरीक्षण फर्द एवं नक्शा की ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में विवादित भूमि पर अपीलाण्ट्स का कब्जा होना स्वीकार किया है। इस स्थिति में कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति होने के बावजूद भी जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 580, 581 व 582 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है, जो राजस्व रेकर्ड से साबित है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज काश्त है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि स्वयं की होना बताया है, जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि हो। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसमें अपीलाण्ट्स को दोषी करार दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा गलत तरमीम करने का तथ्य निराधार है तथा जिस पुलिस अनुसंधान के नक्शे का जिक्र किया है, वह मात्र अतिक्रमण के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों का विवेचन करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में कब्जे काश्त से दखल अन्दाजी से अपीलाण्ट्स को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया तथा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट्स को जैर अपील वादस्थ भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की खातेदारी भूमि दर्ज है। अपीलाण्ट का मुख्य आधार यह रहा है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जो भूमि क्रय की गई है, उसके खसरा नम्बर अलग है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्शित भूमि अलग है। अपीलाण्ट का उक्त कथन राजस्व रेकर्ड से मिलान नहीं करता है। यदि यह मान भी लिया जावे कि दौराने भूप्रबन्ध खसरा नम्बरान में परिवर्तन हुआ है तथा भूमियों के स्थान में परिवर्तन किया गया है, तो यह मूल वाद में साक्ष्य से ही साबित होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

है। राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से जैर अपील वादस्थ भूमि का रेस्पोडेन्ट खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा एक खातेदार काश्तकार की कृषि संक्रियाओं में किसी प्रकार के व्यवधान को रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत होने के कारण किसी प्रकार से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 115/2013 बअनवान शैतानसिंह बनाम सालमसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.11.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-सिरोही

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही